ायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–संजीव कुमार वर्मा (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
219 / 2020	15 / 10 / 2020	05/11/2024

उनवान

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा राज. जरिये हॉल प्राधानांचार्य, राजेन्द्र कुमारपुत्र श्री प्यारेलाल

——:: वादीगण

बनाम

मस्वरूप पुत्र श्री जोखी
यनारायण पुत्र श्री जोखी
ैतान पुत्र श्री ख्याली (मृतक)
/1 कृष्ण
/2 हवासिंह पुत्रान स्व0 श्री शैतान
ीतर
न्दाज पुत्रान् श्री खाली
त्तो पत्नी स्वर्गीय श्री रामरतन
योराम
मौतार पुत्रान् श्री रामरतन
क्मचंद
विजय सिंह पुत्रान श्री सोहनलाल
ातादीन
मय सिह
र्मवीर पुत्रान् श्री उमराव
गाराम
हरचंद पुत्रान श्री हीरा
नेश्रो
खमेरी
ुस्सा बाई
हेन्द्री पुत्रीयान स्वर्गीय श्री हीरा
ुरेश देवी पत्नी स्वर्गीय श्री लीलाराम पुत्र स्वर्गीय श्री हीरा
ुनीता देवी पुत्री स्वर्गीय श्री लीलाराम
ैलाश पुत्री स्वर्गीय श्री रेशम पुत्री स्वर्गीय श्री हीरा
जराम
मृत पुत्रान स्वर्गीय श्री रेशम पुत्री स्वर्गीय श्री हीरा
न्द्रपाल

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

मप्रकाश
ोतराम पुत्रान स्वर्गीय श्री लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासीगंण जलालपुर तहसील तिजारा
ला खैरथल–तिजारा राज.
जरानी पुत्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मण पत्नी धर्मवारी जाति गूर्जर हॉल निवासी भूडला तहसील
जिला रेवाडी हरि.
ला पुत्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मण पत्नी महावीर जाति गूर्जर हॉल निवासी भूडला तहसील व
ला रेवाडी हरि.
ामवती पुत्री स्वर्गीय श्री लक्ष्मण पत्नी अशोक कुमार जाति गुर्जर हॉल निवासी भूडला
हसील व जिला रेवाडी हरि.
रिकिशन
रसिंह
जन
जपाल पुत्रान स्वर्गीय श्री बिहारी
ताराम
लाराम
हरचंद पुत्रान स्वर्गीय श्री सूरजन
तरा पुत्री स्वर्गीय श्री सुरजन जाति गूर्जर निवासीगण जलालपुर तहसील तिजारा जिला
रथल–तिजारा राज.
ज्य सरकार जरिये पैराकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा तहसील तिजारा जिला
रथल–तिजारा राज.
.ओ.बी बैक शाखा तिजारा तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा राज.

————:: प्रतिवादीगण

दावाइश्तकरारहक मय हुक्मइम्तनाईदवामी
अन्तर्गतधारा 88,89,188 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम, 1955

:– श्री अतरसिंह यादव , एडवोकेट

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि मिन वादी राजेन्द्र कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्रम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज) का नाचार्य के पद पर कार्यरत है तथा मिन वादी राजेन्द्र कुमार को राजकीय उच्च माध्यमिक ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज) के दिन प्रतिदिन के समस्त किया कलापो ानकारी है व स्कूल का प्राधानाचार्य होने के नाते यह वाद पत्र अपने हस्ताक्षरो से पेश कर रहा

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

आराजी खसरा नं. 1009 रकबा 0.28है0 मे से 281/360 हिस्सा व हाल आराजी खसरा नं. 363 19है0 मे से 281/360 हिस्सा वाके ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर मे स्थित है। जो मे विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा रजि0 दान पत्र दिनांक 29.02.2008 व हाल संलग्न वादपत्र है। उक्त विवादित आराजी जो कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 तथा हीरा, बिहारी व लक्ष्मण की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि थी तथा उपरोक्त प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत हीरा,सुरजन, बिहारी व लक्ष्मण ने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी जबर व दबाव के होश हवास सही ी के तथा अपने परिवार वालों की सहमति से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम जलालपुर तिजारा जिला अलवर (राज) के विकास के लिए दिनांक 29.02.2008 को उपपंजीयक महोदय, के समक्ष उपस्थित होकर पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 311 मे पृष्ठ संख्या 123, कम संख्या 523 पर दान पत्र को निष्पादित कराया गया। जिस दान पत्र के अनुसार वादी विद्यालय दानपत्र मे ाराजी पर काबिज व दाखिल होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है। उक्त दस्तावेजात जो कि िकृत दस्तावेज है। वादी विद्यालय ने उक्त रजि. दानपत्र को हल्का पटवारी को वास्ते दर्ज करने दे दिया और हल्का पटवारी ने रजि दानपत्र के अनुसार इन्तकाल दर्ज व स्वीकार करने का पूरा न दिया। इसी दौरान हीरा,सुरजन,बिहारी व लक्ष्मणं का देहान्त हो गया और उसके वारिसान को पत्र की पूरी पूरी जानकारी थी परन्तु हीरा,सूरजन, बिहारी व लक्ष्मण के वारिसान ने अपने पूर्वजो के अमल के आधार पर राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो को गुमराह कर हीरा, सुरजन, बिहारी व के वारिसान ने विवादित आराजी का इन्तकाल अपने नाम दर्ज व स्वीकार कराकर राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 के साथ प्रतिवादीगण सं. 14 लगायत 38 ने बेजा तौर से अपने रिकॉर्ड जमाबन्दी मे अंकन कराया है। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो ने हीरा,सुरजन,बिहारी व का विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय ना तो वादी विद्यालय को कोई सूचना दी, ना ही कोई चस्पा किये और ना ही किसी को कोई जानकारी होने दी है। प्रतिवादीगण सं. 14 लगायत 38 क विरासत इन्तकाल व उसके आधार परआया अमल, वादी विद्यालय के हकूको के खिलाफ बातिल र है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे वादी विद्यालय इसी तरह बातिल वो बेअसर करार दिलाकर ाण सं. 1 लगयात 38 का नाम विवादित आरांजी से हजफ कराकर वादी विद्यालय के नाम का अंकन कराने का अधिकारी है व वादी विद्यालय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री अधिकारी है। वादी विद्यालय वक्त दानपत्र से ही विवादित आराजी पर काबिल व दाखिल होकर उपभोग करती आ रही है। वादी विद्यालय को पूर्व मे हीरा, सूरंजन, बिहारी व लक्ष्मण के वारिसान चढा विरासत इन्तकाल व उसके आधार पर आये अमल की कोई जानकारी नही है। वादी विद्यालय दित आराजी पर कमरे बनाने की आवश्यकता हुई तो मिन वादी दिनांक 26.08.2020 को हल्का के पास जाकर विवादित आराजी की जमाबन्दी ली तो हल्का पटवारी ने प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत ाम का अमल होना बताया। जिस पर मिन वादी ने कानूनी राय मशवरा किया तो गलत अमल की सामने आई।जिस पर मिन वादी ने दिनांक 29.08.2020 को प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 38 को

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

(4)

के अनुसार विवादित आराजी वादी विद्यालय के नाम दुरूस्त कराने का निवेदन किया तो
ण सं. 1 लगायत 38 तेस मे आय गये ओर कहां कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे विवादित
मारे नाम है तथा विवादित आराजी को किसी दीगर जगह रहन बैय हिंबा आदि से मुन्तकिल कर
लय को विवादित आराजी से बेदखल करेगे तथा विवादित आराजी मे प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत
बरदस्ती घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न कर वादी विद्यालय को बेदखल करने का प्रयारा
दि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 38 अपने अनुचित दूषित इरादो मे कामयाब हो गये तो वादी
करे अपूर्णीय क्षति होगी ओर दीगर मुकदमेबाजी मे फसना पडेगा और वादी विद्यालय को रजि
के आधार पर मिली आराजी से महरूम होना पडेगा। जिसकी पूर्ति रूपयो मे आकी जाना सम्भव
। इसलिए वादी विद्यालय, प्रतिवादीगण को जरिये हु0ई0 दवामी से पाबन्द कराने की अधिकारी है
करारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने की अधिकारी है। इसलिऐ वादी विद्यालय के
ी रक्षार्थ मिन वादी को यह दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया है।
वादित आराजी जोकि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्रम जलालपुर तहसील तिजारा जिला
राज) को जरिये रजि दानपत्र प्राप्त हुई। जिस पर वादी विद्यालय वक्त दान पत्र से ही काबिज व
होकर उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा मौके पर वादी विद्यालय का कब्जा है। विवादित
ने वादी विद्यालय के कानूनन हक व हकूक निहित है। इसलिए यह वाद पेश करना लाजिम आया
पत्र के लिए बिनायेवादी बिनाये मुखासत दिनांक 26.08.2020 व प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 38 के
ारी व धमकी दिनांक 28.08.2020 को पैदा होकर दावा हाजा साधारणतया अन्दर अवधि पेश है।
ाजी खसरा नं. 1009 रकबा 0.28है0 व हाल आराजी खसरा नंबर 363 रकबा 1.19है0 वाके ग्राम
तहसील तिजारा जिला अलवर मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजी मे अन्य सहखातेदारान का
जमाबन्दी हिस्सा निहित है। सहखातेदारान अपने हिस्से की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज़ व दाखिल
आराजी खसरा न. 1009 रकबा 0.28है0 मे से 281/360 हिस्सा व हाल आराजी खसरा नं. 363
.19है0 मे से 281/360 हिस्सा वाके ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर जो कि
ाण सं. 1 लगायत 13 तथा हीरा, सुरजन, बिहारी व लक्ष्मण ने अपनी स्वेच्छा से बिना किसी जबर
के वादी विद्यालय को जरिये रजि दानपत्र की है। इसलिए हाल आराजी खसरा नं. 1009 रकबा 0.
से 281/360 हिस्सा व हाल आराजी खसरा नं. 363 रकबा 1.19है0 मे से 281/360हिस्सा को ही
आराजी बनाकर यह वाद पेश किया गया है। जिस कारण सहखातेदारान के खिलाफ कोई
नही चाहा है और ना ही सहखातेदारान को इस वाद मे पक्षकार मुकदमा बनाया है। दावा
रहक मय दुरूस्ती इन्द्राज का है। इसलिए राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार,
को प्रतिवादी सं. 39 की जद मे पक्षकार मुकदमा बनाया है। जिनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं
ा है। अतः प्रार्थना पत्र है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया
की इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की पारित की जावें कि विवादित हाल आराजी
ंबर 100. रकबा 0.28है0 मे से 281/360 हिस्सा व हाल आराजी खसरा नं. 363 रकबा 1.19है0 मे

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल-तिजारा)

/360 हिस्सा वाके ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर मे स्थित है। उक्त विवादित जो कि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 तथा हीरा,सुरजन, बिहारी व लक्ष्मण ने अपनी स्वेच्छा से सी जबर व दबाव के होश हवास सही व दुरूस्ती के तथा अपने परिवार वालों की सहमति से उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज) के विकास के नांक 29.02.2008 को उपपंजीयक महोदय, तिजारा के समक्ष उपस्थित होकर पुस्तक सं. 1, जिल्द मे पृष्ठ संख्या 123, कम संख्या 2008000523 पर दान पत्र को निष्पादित कराया गया। जिस दान अनुसार वादी विद्यालय दानपत्र मे वर्णित आराजी पर काबिज व दाखिल होकर उपयोग उपभोग आ रहा है। उक्त दस्तावेजात जो कि एक पंजीकृत दस्तावेज है। वक्त दान पत्र से ही वादी विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा मौके पर द्यालय का वास्तविक कब्जा है। रजि दानपत्र के आधार पर हलका पटवारी ने इन्तकाल दर्ज व नही किया तथा हीरा,सूरजन,बिहारी व लक्ष्मण की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान को रजि दानपत्र पूरी जानकारी थी परन्तु हीरा,सूरजन,बिहारीव लक्ष्मण के वारिसान ने अपने नाम दर्ज व स्वीकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 के साथ प्रतिवादीगण सं. 14 लगायत जा तौर से अपने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे अंकन कराया है। राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो सूरजन, बिहारी व लक्ष्मण का विरासत इन्तकाल दर्ज करते समय ना तो वादी विद्यालय को कोई दी, ना ही कोई इश्तहार चस्पा किये और ना ही किसी को कोई जानकारी होने दी है। प्रतिवादीगण लगायत 38 के नाम चढा विरासत इन्तकाल व उसके आधार परआया अमल, वादी विद्यालय के के खिलाफ बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले पाबन्दी है। जिसे वादी विद्यालय इसी तरह बातिल वो करार दिलाकर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 38 का नाम विवादित आराजी से हजफ कराकर वादी के नाम खातेदार का अंकन कराने का अधिकारी है व वादी विद्यालय इश्तकरारहक मय दुरूस्ती की डिक्री पाने का अधिकारी है। डिक्री इज्राय हु0ई0 दवामी प्रतिवादीगण सं 1 लगायत 38 को इस पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित हाल आराजी खसरा नं. 1009 रकबा 0.28है0 मे से 281/360 व हाल आराजी खसरा नं. 363 रकबा 1.19है0 मे से 281/360 हिस्सा वाके ग्राम जलालपुर तहसील जिला अलवर मे स्थित है, से वादी विद्यालय को ज़बरन बेदखल ना करें, ना ही प्रतिवादीगण अमल ड मे विवादित आराजी को किसी दीगर आदमी को रहन बैय हिबा आदि से मुन्तकिल करें, ना ही आराजी से वादी विद्यालय को आने जाने से रोकें, ना ही जबरन कोई तामीरात करें, ना ही वादी के उपयोग उपभोग मे कोई रूकावट पैदा करें, ना ही मज़ाहमत व मदाखलत करें। मौका व की यथावत स्थिति बनाये रखे तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 38 पूरी तरह से पाबन्द रहे।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड समन तलब किया व जवाब दावा रने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 38 मय अधिवक्ता उपस्थित बाल जवाब दावा पेश किया। प्रकरण मे राजहित प्रभावित न होने पर प्रतिवादीगण संख्या 39 का वसर समाप्त किया गया एंव प्रतिवादीगण संख्या 40 बाद तामील अनुपस्थित होने इनके विरूद्व कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रकरण मे उभयपक्षकारान की सहमति पर वादपत्र को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन ा एंव वादी अधिवक्ता बहस पर मनन किया। बहस मनन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात के र वादी का वाद मुताबिक दानपत्र दिनांक 29.02.2008 अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

देश है कि –

हाल आराजी खसरा नं. 1009 रकबा 0.28है0 मे से 281/360 हिस्सा व हाल आराजी . 363 रकबा 1.19है0 मे से 281/360 हिस्सा वाके ग्राम जलालपुर तहसील तिजारा जिला तिजारा मे प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी

आदेश सुनाया गया।

05/11/2024

(संजीव कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)